

बउनवान

श्रीमदिति

वनाम ... त.द.ली.ल.डा. (सी.ए.ए.)

धारा 212 RTA

मुकदमा नं.

45/2023

ऑनलाईन नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/5/25	<p>पत्रावली पेश हो तमील सरकारान उपर हो बहस सुनी गयी दौरान बहस में तमील जार्जी द्वारा जो पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराया गया तथा सरकार की ओर से तदलीलदात चीपल्स ने जो पत्र के पक्ष में अपनी दलील पेश की न्यायालय ने उभयपक्षकारान की बहस पर मन्म कदं जो पत्र में उपलब्ध दस्तावेजों, जवाब सरकार का अवलोकन किया। उक्त जवाब सरकार द्वारा न्यायालय वाजल्व मजल अजमेर के रेफरेंस जसं 63/2012 विनिय डिनांक 26/12/2017 एवं न्यायालय एडिशनल सी। मौरा आदेश क्रमांक 1/रीड/ए.डी.एम। 2018/508 डिनांक 18/6/2018 की पालना में ग्राम ककरावडा की आराजी खण्ड नं० 255 रकबा 0.57 हे० भूमि नामां सं० 779 डिनांक 21/8/2018 से विवाचक ज्ञाना सरकार किस्म गे० मु० तलरि दर्ज है चूंकि जार्जी उक्त विवादित भूमि भूमि का ज्ञानदात कारतकार नहीं है तथा जार्जी को सरकार के विरुद्ध उक्त भूमि पर अध्याई निषेधाज्ञा दिया जाना उचित नहीं है</p> <p>अतः जो पत्र 212 RTA रानी सरकार पारित किया जाकर पत्रांक फेल्ल शुभा खेनल नबल से कम किया जाकर नबल दफतर हो विनिय डिनांक 8/5/2025 की तरे रपलात सुनाया गया</p>

Ramim...
 उपरान्त अति...
 अधिकारी